राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(242)एमई / ग्रुप–1 / 2014 जयपुर, दिनांक : 20 MAR 2015

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15–1–2015 के द्वारा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)एफडी / रूल्स / 2006 दिनांक 03.7.2014 व उनके समसंख्यक आदेश दिनांक 23.7.2014 के प्रावधानानुसार राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत परिवीक्षाकालाधीन वरिष्ठ प्रदर्शकों व सहायक आचार्यों के परिवीक्षा काल का नियतन संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज को अपने स्तर से करने के आदेश जारी किये गये थे।

उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15–1–2015 के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के केवल उन्हीं सहायक आचार्यों एवं वरिष्ठ प्रदर्शकों पर लागू होगा जो कि एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक हो एवं जिन्होंने इन्टर्नशिप के रूप में एक वर्ष का समय व्यतीत किया हो।

आदेश से,

(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज., जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज., जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
7. महालेखाकार, राज., जयपुर।
8. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), वित्त (नियम) विभाग को उनके अशा. टीप क्रमांक प. 1(2)वित्त / नियम / 2006 दिनांक 06–2–2015 के सन्दर्भ में।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रताप नगर, टोंक रोड़,जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
13. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर / कोटा / जोधपुर / बीकानेर / उदयपुर।
14. श्री प्रेमप्रकाश तिवाड़ी, प्रोग्रामर को विभगीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रंक्षित पत्रावली।

(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव